न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 220/2022

बाबूलाल पुत्र झूंथा जाति ब्राह्मण नि0 जोरपुरा सुन्दरियावास, तह0 जोबनेर

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

उपस्थित :— श्री हनुमान जाखड विद्वान अधिवक्ता वादी

दिनांक :— 11/10/2023

निर्णय

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 102/0.74, 104/1/1.39, 204/1.32, 205/0.70, 207/0.29, 214/0.37, 223/1.20, 225/0.39, 226/0.15, 227/0.27, 232/0.78, 244/0.36, 248/0.82, 280/1.69, 245/2.18 तथा 234/0.99 हैक्टर वाकै ग्राम जोरपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी के प्राकृतिक पिता लाला थे। प्राकृतिक पिता लाला ने वादी को झूंथा पुत्र लच्छू को गोद दे दिया था। वादी को बाबूलाल एवं लिछमण दोनों नामों से पुकारा जाता था। वादी के गोद ग्रहिता पिता झूंथा की मृत्यु के पश्चात वसीयत का नामन्तरण खोलते समय वादी का नाम लिछमण पुत्र लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि अंकित कर दिया गया था। वादी का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण मुझे ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादी का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 102/0.74, 104/1/1.39, 204/1.32, 205/0.70, 207/0.29, 214/0.37, 223/1.20, 225/0.39, 226/0.15, 227/0.27, 232/0.78, 244/0.36, 248/0.82, 280/1.69, 245/2.18 तथा 234/0.99 हैक्टर वाकै ग्राम जोरपुरा तह0 जोबनेर में वादी का नाम लिछमण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि के स्थान पर बाबूलाल पुत्र झूंथा किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 21/03/2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 102/0.74, 104/1/1.39, 204/1.32, 205/0.70, 207/0.29, 214/0.37, 223/1.20, 225/0.39, 226/0.15, 227/0.27, 232/0.78, 244/0.36, 248/0.82, 280/1.69, 245/2.18 तथा 234/0.99 हैक्टर वाकै ग्राम जोरपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी के गोद ग्रहिता पिता झूंथा की मृत्यु के पश्चात वसीयत का नामन्तरण खोलते समय वादी का नाम लिछमण पुत्र लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि अंकित कर दिया गया था। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि बाबूलाल को ही लिछमण या लक्ष्मण कहा जाता है। जिसका सही नाम बाबूलाल है। बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण उर्फ लिछमण तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणा एवं दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज किया जावे।

.......वादी

दावा में उपरोक्त तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 बाबूलाल, पी0डब्लू0 2 जगदीश प्रसाद शर्मा, तथा पी0डब्लू0 3 राजेश कुमार शर्मा के शपथ पत्र पेश किये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1ल0 8 नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078, प्रदर्श 9 वसीयत नामा, प्रदर्श 10 ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, प्रदर्श 11 निर्वाचन पहचान पत्र, प्रदर्श 12 आधार कार्ड, प्रदर्श 13 बिजली बिल, प्रदर्श 14 बैंक पासबुक तथा प्रदर्श 15 राशन कार्ड पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :— आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणा एवं दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज किया जावें।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। आराजी खसरा नम्बर 102/0.74, 104/1/1.39, 204/1.32, 205/0.70, 207/0.29, 214/0.37, 223/1.20, 225/0.39, 226/0.15, 227/0.27, 232/0.78, 244/0.36, 248/0.82, 280/1.69, 245/2.18 तथा 234/0.99 हैक्टर वाके ग्राम जोरपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी के प्राकृतिक पिता लाला थे। प्राकृतिक पिता लाला ने वादी को झूंथा पुत्र लच्छू को गोद दे दिया था। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श 9 वसीयत नामा से स्पष्ट रूप से होती है। वादी को बाबूलाल एवं लिछमण दोनों नामों से पुकारा जाता था। वादी के गोद ग्रहिता पिता झूंथा की मृत्यु के पश्चात वसीयत का नामन्तरण खोलते समय वादी का नाम लिछमण पुत्र लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि अंकित कर दिया गया था। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श 1ल08 नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से होती है।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लिछमण पुत्र लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज है। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श 10ल015 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से होती है। ग्राम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है कि बाबूलाल को ही लिछमण या लक्ष्मण कहा जाता है। जिसका सही नाम बाबूलाल है। बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण उर्फ लिछमण तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी वहक वादी निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत हो गयी है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 102/0.74, 104/1/1.39, 204/1.32, 205/0.70, 207/0.29, 214/0.37, 223/1.20, 225/0.39, 226/0.15, 227/0.27, 232/0.78, 244/0.36, 248/0.82, 280/1.69, 245/2.18 तथा 234/0.99 हैक्टर वाकै ग्राम जोरपुरा तह0 जोबनेर में लिछमण पुत्र लाला, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला दत्तक पुत्र झूंथा, बाबूलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र लाला इत्यादि के स्थान पर बाबूलाल पुत्र झूंथा दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 11/10/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण).

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

आराजी खसरा सं० 102/0.74 के स्थान पर आराजी खसरा सं० 102/1.74 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर